Continuation Certificate

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के राज्य रॉल (State Roll) पर नामांकित (Enrolled) अधिवक्ता को प्रैक्टिस से संबंधित निरंतरता प्रमाण–पत्र (Continuation Certificate) प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजात।

1. एक आवेदन
2. अधिवक्ता प्रमाण पत्र (Enrolment Certificate) की छाया प्रति।
3. अधिवक्ता पहचान–पत्र (Identity Card) की छायाप्रति
4. रु. 500/– का बैंक ड्राफ्ट जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो और Payable at "Ranchi" हो।

इसे जमा करने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है।

(नामांकन) Enrollment Form Selling

1. नामांकन पत्र (Enrolment Form) झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा उसके वेब साइट www.jharkhandstatebarcouncil.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

2. कार्यालय से आवेदन पत्र खरीदने के लिये

   (क) "Jharkhand State Bar Council" के नाम से रु. 1250/– का बैंक ड्राफ्ट बनाये जो Payable at "Ranchi" हो।

   (ख) इस बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक अपना नाम साफ–साफ लिखें।

   (ग) इस बैंक ड्राफ्ट को Jharkhand State Batr Council के कार्यालय के सक्षम कर्मचारी को सौंपे।

   (घ) उक्त कर्मचारी बैंक ड्राफ्ट का रसीद के साथ आवेदन पत्र भी दे देगा।

3. वेबसाइट से डाउनलोड किये नामांकन पत्र (Enrolment Form) को जब नामांकन (Enrolment) के लिये जमा किया जाता है तब क्रम संख्या (2) द्वारा वर्णित नामांकन पत्र का शुल्क उसी तरह बैंक ड्राफ्ट बना कर पत्र (Form) के साथ जमा किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति **L.L.B.** पास करने के बाद बार काउंसिल से एन्रोलमेंट कराना चाहता है, तो उसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया है:-

(1) सबसे पहले एन्रोलमेंट फार्म खरीदें। इसे खरीदने के लिए रु. 1250/- का भुगतान D.D. के द्वारा करना पड़ेगा। यह DD "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा जो Payable at “Ranchi” हो।

(2) उसके बाद फार्म भर कर कार्यालय में जमा करें।

<u>बैंक ड्राफ्ट</u>

(3) फार्म जमा करने के समय निम्नलिखित चीजों को साथ लायें।

(क) रु. 6000/- का D.D. जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा जो Payable at “Ranchi” हो। (सामान्य जाति के लिए)

(ख) रु. 5000/- का D.D. जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा जो Payable at “Ranchi” हो। (सामान्य जाति के लिए)

(ग) रु. 20,000/- का D.D. जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा जो Payable at “Ranchi” हो। (45 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदक चाहे किसी भी जाति का हो अथवा सेवानिवृत व्यक्ति चाहे वह कहीं से सेवा (Service) छोड़ कर आये हो)

(घ) रु. 3000/- का D.D. जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा जो Payable at “Ranchi” हो। (SC/ST के लिए)

(ङ) रु. 3000/- का D.D. जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा जो Payable at “Ranchi” हो। (SC/ST के लिए)

<u>दस्तावेज</u>

(4) (क) मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र

(ख) इण्टरमीडीएट का मूल प्रमाण-पत्र या अंक प्रमाण-पत्र

(ग) स्नातक का मूल प्रमाण-पत्र या अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) के साथ पार्ट -III का अंक पत्र।

(घ) लॉ का मूल प्रमाण-पत्र या अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) के साथ सभी पाट अथवा सेमेस्टर के अंक पत्र।

(ङ) लॉ कॉलेज से मिला हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र।

(च) सेवानिवृत्ती प्रमाण-पत्र (केवल सेवानिवृत्त लोगों के लिए)

(छ) जाति प्रमाण-पत्र (केवल SC/ST के लिए)

अन्य

(ज) चार रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।

(झ) एक अपना पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें आवश्यकता के अनुसार टिकट लगा हुआ हो।

उपरोक्त DD, दस्तावेजों एवं अन्य लिखित आवश्यकताओं के साथ आपका एन्रॉलमेंट फार्म कार्यालय में जमा हो जाएगा।

गंभीर कारण नहीं होने पर एन्रॉलमेंट हो जाता है।

एन्रॉलमेंट होने के बाद कैंडिडेट को निम्नलिखित **DD** अलग से लाने होंगे।

(1) रु. 3000/- का D.D. जो "Bar Council of India Welfare Committee for the State of Jharkhand" के नाम से हो तथा Payable at "Ranchi" हो।

(2) रु. 3300/- का D.D. जो "Jharkhand Bar Council Journal" के नाम से हो तथा Payable at "Ranchi" हो।

(3) रु. 410/- का D.D. जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से हो तथा Payable at "Ranchi" हो।

अब प्रैक्टिस हेतु एन्रॉलमेंट लाइसेंस मिल जाता है।, इसके बाद एक शपथ पत्र पर Undertaking ले आयें जो रु. 10 या इससे अधिक रकम के नन-ज्यूडीसियल Stamp पेपर पर हो तथा नोटराइज किया हुआ हो। इसका प्रारुप निम्नलिखित है।

Undertaking

I, **…………………** S/o………………………., R/o-……… ……………….., bearing Enrolment No. ……………. have been enrolled in the Jharkhand State Bar Council in the year ……………... I have obtained law degree during the academic year 2009 to 2013. I have to apply for the next All India Bar Examination. I undertake that I will practice as an advocate provisionally till I qualify the All India Bar Examination or I pass this examination whichever is earlier. That a shall pass AIBE within two years from the date of enrolment. I further undertake that in case, I do not qualify the Examination within two years from the date of my enrolment, I will not **practice** as an advocate before any court in India and I shall abide by the decisions of Bar Council of India.

सत्र **2009-2010** एवं उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी विधि स्नातक **(Law graduate)** हुए हैं तो उनका अधिवक्ता का नामांकन **(Enrolment)** पहले सिर्फ तीन वर्षों के लिये होता है। ये तीन वर्ष बीतने के पहले उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा पास करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होने पर उनका **Enrolment** तब तक के लिये निलंबित हो जाता है जब तक कि उपरोक्त परीक्षा उर्त्तीण करे। परंतु सफल हो या असफल प्रथम तीन वर्षों के दौरान उन्हें अधिवक्ता के पेशे से संबंधित सारे अधिकार उपलब्ध रहते हैं।

ऐसे असफल अधिवक्ता यदि तीन वर्षों के बाद **AIBE** पास हो जायेंगे तब उन्हें सारे अधिकार पुनः प्राप्त हो जायेंगे। अन्यथा **Enrolment** के तीन वर्षों के बाद उन्हें निलंबित माना जाता है।

साथ ही यदि प्रथम तीन वर्षों के दौरान ही अधिवक्ता परीक्षा उत्तिर्ण कर लें तब उन्हें अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सदस्य बनने एवं संघ चुनाव से संबंधित अधिकार पास होते ही प्राप्त हो जाते हैं।

AIBE के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है

1. सर्वप्रथम झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल से नामांकित (Enrolment) होना होगा। क्योंकि तब ही AIBE के लिए योग्य माने जायेंगे।
2. BCI साल में दो बार AIBE आयोजित करती है जो March/April तथा November/December में होता है
3. इसके लिए आवेदन दो तरह से भरवाया जाता है:-
   (क) Online i.e. through internet
   (ख) Offline through State Bar Council
4. परीक्षा का शुल्क बार कौंसिल ऑफ इंण्डिया के द्वारा घोषित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अलग हो सकता है।
5. All India Bar Exam के लिये इच्छित परीक्षा केन्द्र बताना है। इसके लिये आवेदक को तीन विकल्प देना होता है। झारखण्ड में दो केन्द्र प्रस्तावित है राँची तथा धनबाद।
6. AIBE पास करने के बाद सफल अभ्यर्थियों का certificate of practice (COP) result के लगभग दो से तीन महीना बाद राज्य बार कौंसिल को BCI के द्वारा भेजा जाता है ।
7. All India Bar Council Exam का website है www.allindiabarexamination.com

----

RTI

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया करना पड़ेगाः-

1. सूचनाओं की जानकारी हेतु हस्ताक्षरित आवेदन।

2. रु. 10/- का ड्राफ्ट जो "Jharkhand State bar Council" के नाम से बना हो तथा Payable at "Ranchi" हो।

3. संबंधित आवेदन पर विचार करने के उपरांत उसकी जानकारी दी जा सकती है।

4. अगर जानकारी दिया गया तो उसके लिए रु. 2/- प्रति पेज के हिसाब से रकम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम ये लिया जाएगा। यह ड्राफ्ट "Jharkhand State bar Council" के नाम से बना हो तथा Payable at "Ranchi" हो।

<u>चिकित्सा सहायता (BCI Rule 40 के अन्तर्गत)</u>

1. झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद राज्य के अधिवक्ताओं के लिये चिकित्सा सहायता योजना चलाती है।
2. राज्य का हर अधिवक्ता नियमतः इसका सदस्य रहता है और इसके लिये निर्धारित सदस्यता शुल्क चुकाना हर अधिवक्ता के लिये अनिवार्य है।

3. इसके तहत ऐसे अधिवक्ता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो गम्भीर बीमारी की चिकित्सा हेतु आवेदन इसके लिये आवेदन करते हैं तथा जिसका सदस्यता शुल्क जमा रहता है।

4. सदस्यता शुल्क इस प्रकार हैः–

   (क) आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 3000 / – (तीन हजार)

   (ख) वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 600 / – (छः सौ)

5. यदि कोई अधिवक्ता चिकित्सा सहायता चाहता है तब चिकित्सा साहयता आवेदन अस्पताल / चिकित्सक की पर्ची तथा दवा आदि के रसीद के साथ जमा करें। सहायता आवेदन का प्रपत्र Jharkhand State Bar Council के बेबसाइट www.jharkhandstatebarcouncil.org पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसे Jharkhand State Bar Council के कार्यालय से भी निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

PENSION

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्यालय से अगर कोई अधिवक्ता पेंशन योजना का सदस्य बनना चाहता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का ध्यान रखना है :-

(A) निम्नलिखित खरीदें :-

(1) बार कौंसिल का जरनल खरीदना होगा। इसका मूल्य रु. 3000/- प्रतिवर्ष है। इसे खरीदने के लिए रु. 3000/- बैंक ड्राफ्ट **"Jharkhand Bar Council Journal"** के नाम से बनाना होगा जो **payable at "Ranchi"** होगा।

(B) निम्नलिखित कागजात जमा करें:-

(1) आयु के प्रमाण के लिये कोई एक (Matriculation Certificate, PAN Card, Passport, Driving License

(2) Jharkhand Bar Council Journal का Office Copy Form, जो जनवरी पार्ट के पीछे लगा हुआ है। Jharkhand Bar Council Journal लेने के लिए जिन अधिवक्ताओं का उम्र 70 वर्ष पूरा हो चुका है और जो पेंशन योजना का सदस्य बनना चाहते हों उन्हें दस वर्ष के Jharkhand Bar Council Journal का मूल्य रु. 30000/- का रकम एक मुश्त देना होगा। यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। बैंक ड्राफ्ट **"Jharkhand Bar Council Journal"** के नाम से तथा payable at **"Ranchi** होगा।

(3) एन्रोलमेंट सर्टिफिकेट

(4) पेंशन योजना का सदस्य बनने हेतु Age wise Fee structure निम्नलिखित है:-

Groups	**Age Limits**	**Amount payable i.e. one time payment (Life-subscription)**
A	**Up to 30 years of age**	**Rs. 5,000/- (Five thousands only)**
B	**Beyond 30 years of age**	**Rs. 10,000/- (Ten thousands only)**
C	**Senior designated Advocate**	**Rs. 10,000/- (Ten thousand only)**
D	**Beyond 70 years of age including Senior designated Advocate**	**Rs. 10,000/- (Ten thousand only)**

नोट:- यह रकम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। यह बैंक ड्राफ्ट **"Advocates Welfare Fund Trustee Committee"** के नाम से तथा **payable at "Ranchi** होगा।

For Suspension of Practice

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के राज्य रॉल पर नामांकित (Enrolled) अधिवक्ता यदि अपना प्रैक्टिस निलंबित कराना चाहें तब :-

1. अधिवक्ता होने का मूल नामांकन पत्र (Enrolment Certificate) के साथ Practice के निलंबन का आवेदन जमा करें।

2. आवेदन स्वीकार होने के बाद राज्य रॉल पर अधिवक्ता के नाम के आगे स्वेच्छा निलंबित लिख दिया जाएगा तथा BCI Rule 40 के लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा।

For Resumption of Practice

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के राज्य रॉल पर नामांकित (Enrolled) अधिवक्ता का प्रैक्टिस यदि किसी कारणवश निलंबित हो और उसे पुनः resume करना चाहें तब :-

1. इसके लिए आवेदन जमा करें। आवेदन में किस स्थान पर वह अधिवक्ता का Practice करना चाहते हैं यह साफ-साफ लिखें। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें।

   (क) एक शपथ पत्र पर यह घोषणा कि निलंबन अवधि के दौरान उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे उन्हें अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत् अयोग्य माना जाये।

   (ख) एक बैंक ड्राफ्ट रु. 10000/- का जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा payable at "Ranchi" हो।

   (ग) एक बैंक ड्राफ्ट रु. 2000/- का जो "Bar Council of India" के नाम से बना हो तथा payable at "New Delhi" हो।

2. आवेदन को नामांकन समिति (Enrolment Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उचित निर्णय के बाद उनके मूल नामांकन पत्र पर Practice Resume लिख कर, तारिख देकर तथा समुचित हस्ताक्षर के साथ वापस सौंप दिया जाएगा। साथ ही BCI Rule 40 कि सूची में उनका नाम पुनः शामिल कर लिया जाएगा।

Welfare Stamp

1. झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् से Affiliated किसी भी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा कल्याण मुद्रांक की मांग की जा सकती है।
2. माँग के अनुसार Bank Draft देना होता है जो **Jharkhand State Bar Council** के नाम से बनेगा तथा payable at "**Ranchi**" होगा।
3. बैंक ड्राफ्ट पाने के बाद उतने मूल्य का कल्याण मुद्रांक उक्त अधिवक्ता संघ को सुपुर्द कर दिया जाता है।
4. यदि अध्यक्ष या सचिव स्वयं कौंसिल के कार्यालय में नहीं आ पायें तब वह लिखित आवेदन के साथ किसी ऐसे पत्र वाहक को अधिकृत कर भेंज सकते हैं जो अधिवक्ता हो अथवा उक्त संघ का कर्मचारी हो उक्त अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर प्रमाणित हो।

चिकित्सा सहायता (BCI Rule 40 के अन्तर्गत)

1. झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद राज्य के अधिवक्ताओं के लिये चिकित्सा सहायता योजना चलाती है।
2. राज्य का हर अधिवक्ता नियमतः इसका सदस्य रहता है और इसके लिये निर्धारित सदस्यता शुल्क चुकाना हर अधिवक्ता के लिये अनिवार्य है।

3. इसके तहत ऐसे अधिवक्ता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो गम्भीर बीमारी की चिकित्सा हेतु आवेदन इसके लिये आवेदन करते हैं तथा जिसका सदस्यता शुल्क जमा रहता है।

4. सदस्यता शुल्क इस प्रकार हैः–

   (क) आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 3000/– (तीन हजार)

   (ख) वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 600/– (छः सौ)

5. यदि कोई अधिवक्ता चिकित्सा सहायता चाहता है तब चिकित्सा साहयता आवेदन अस्पताल/चिकित्सक की पर्ची तथा दवा आदि के रसीद के साथ जमा करें। सहायता आवेदन का प्रपत्र Jharkhand State Bar Council के बेबसाइट www.jharkhandstatebarcouncil.org पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसे Jharkhand State Bar Council के कार्यालय से भी निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।